भारत में बैंकिंग सुधार (Banking Reforms)

विश्व स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना तथा ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी शिकायतों का निवारण कर उन्हें बेहतर व आधुनिक सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए समय–समय पर किए गए सुधार बैंकिंग सुधार कहलाते हैं।

⇒ प्रमुख बैंकिंग सुधार व समितियाँ :

❑ **चक्रवर्ती समिति :** 1985 में गठित इस समिति को बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तर की कार्यप्रणाली एवं दक्षता को प्राप्त करने हेतु सिफारिशें दी थी। इस समिति द्वारा गैर निष्पादित संपत्तियों (NPA) को वसूलने के संबंध में सुझाव दिए थे।

❑ **विमल जालान समिति (2014) :** नए बैंक लाइसेंस के आवेदनों की जाँच–पड़ताल के लिये सितम्बर, 2013 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने फरवरी, 2014 में रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप के उन कम्पनियों की सूची भी सौंपी गई, जिन्हें समिति ने बैंक लाइसेंस के लिये उपयुक्त पाया था। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समिति का गठन आवेदकों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली, कारोबारी योजना और शर्तों की समीक्षा करने के लिये किया है।

❑ **भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को लाइसेंस देने संबंध में प्रमुख दिशा–निर्देश जारी किए :**

- ❖ निजी क्षेत्र, NBFC या सरकारी उपक्रम बैंक खोलने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ बैंक खोलने के लिये न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का निवेश करना आवश्यक है।
- ❖ कम–से–कम 25 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य है।
- ❖ विदेशी कम्पनियों के लिये 49% तक हिस्सेदारी निर्धारित की गई है।
- ❖ NBFC स्वयं को बैंक में परिवर्तित कर सकते हैं।
- ❖ बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होना आवश्यक है।

अप्रैल, 2014 में विमल जालान समिति की अनुशंसा पर आरबीआई ने IDFC लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को देश में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

❖ **बैंकों का विलय :** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर बैंकों का विलय किया गया। जैसे–भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय। अप्रैल, 2019 ई. में विजया बैंक एवं देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय तथा अगस्त,

2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की गई। भारत में बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 44A के तहत बैंकों के विलय सम्बंधी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। बैंकिंग संस्थाओं के विलय हेतु भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है अपितु बैंकिंग कम्पनियों के विलय हेतु सभी पक्षों के कम–से–कम दो–तिहाई शेयरधारकों द्वारा सहमति दिया जाना आवश्यक है।

❑ बैंकों के विलय के प्रभाव :

❖ **सकारात्मक पक्ष** : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी।

- बैंकों के विलय से उनकी परिचालन लागत में कमी आएगी।
- बैंकों के गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPA) का प्रबंधन और अधिक कुशल होगा।
  विलय से बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।
- दो या दो से अधिक बैंकों के विलय से उनकी कुल परिसम्पत्ति में भी वृद्धि होगी, फलतः उनकी ऋण प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना राज्य के कोष की मदद लिये और अधिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
- बैंकों के विलय से बैंकिंग सेवाओं का दायरा भी बढ़ेगा।
- बैंकों के मध्य होने वाली नकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा में कमी आएगी।
- सरकार पर सार्वजनिक बैंकों के वित्त पोषण का बोझ कम होगा।
- बैंकों की संख्या कम होने से उनका नियमन करना अधिक आसान होगा।
- जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अधिक समृद्ध एवं सशक्त होगी।

❖ **नकारात्मक पक्ष** :

- निर्णयन प्रक्रिया में देरी की संभावना रहती है।
- बड़े लोन की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना।
- बैंक कर्मियों की छंटनी से बेरोजगारी में वृद्धि होने की संभावना।
- स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा होने की संभावना अधिक रहेगी।
- बड़े बैंकों का प्रबंधन कमजोर हो सकता है, फलतः समग्र बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
- राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी।

❖ **गोइपोरिया समिति (1990)**– इसका संबंध गाहक सेवा सुधार से है।

❑ नरसिम्हम समिति रिपोर्ट - I :

❖ भारत में भुगतान संतुलन के संकट की पृष्ठभूमि तथा 1991 के आर्थिक संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर श्री एम. नरसिम्हम थे। इस समिति में 9 सदस्य थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1991 में संसद में पेश की।

❖ नरसिम्हम समिति के प्रमुख सुझाव :

- मौद्रिक नीति के उपकरणों SLR , CRR एवं PSL को कम किया जाएं।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए गैर–सरकारी एवं विदेशी बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए।
- भारत में चार स्तरीय बैंकिंग प्रणाली लागू करना–

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर
2. राष्ट्रीय स्तर
3. जिला स्तर
4. ग्राम स्तर

- एनपीए को कम करने हेतु डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूवल (DRT) की स्थापना की जाए।
- बैंकों को खुद अपनी ब्याज दरें तय करने की छूट दी जाए।
- निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को समाप्त किया जाए।
- बैंकों की 'लेखा प्रणाली' में भी सुधार होना चाहिए।
- बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने की सिफारिश।
- बेसल नियमों को लागू किया जाए।

❑ नरसिम्हम समिति II रिपोर्ट :

❖ 1998 में भारत सरकार के द्वारा श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य अब तक हुए बैंकिंग सुधारों की समीक्षा करना तथा भारत के वित्तीय संस्थानों को सशक्त एवं वित्तीय व्यवस्था को दुरस्त करना था। इस समिति को बैंकिंग सेक्टर समिति के नाम से भी जाना जाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यतः बैंकों के आकार और पूंजी पर्याप्तता अनुपात जैसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया।

❖ नरसिम्हम समिति II के प्रमुख सुझाव :

- गैर निष्पादित संपत्तियों में सुधारों के द्वारा बैंकों की परिसंपत्तियों को मजबूत बनाने की बात की।
- नष्ट परिसंपत्तियों के लिए एक संस्था बनाई जाए ताकि उसको वसूला जा सके।
- भारतीय रिजर्व बैंक के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जाए जोकि एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था हो।
- सुदृढ़ वाणिज्यिक बैंकों का विलय कमजोर वाणिज्यिक बैंकों में न करके उनका आपस में विलय किया जाए ताकि अधिकतम आर्थिक और वाणिज्यिक स्थितियाँ पैदा हो जिससे उद्योगों का विकास होगा।

❖ **वर्मा समिति :** 1998 में गठित इस समिति ने कमजोर बैंकों को बड़ों बैंकों में विलय कराने की सलाह दी।

- 1999 में SEP सूत्र दिया–
- S = Solveny – अदायगी
- E = Earning – कमाई
- P = Profitability – लाभप्रदता

❖ **मालेगाँव समिति (2010) :** इस समिति का गठन सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्तीय सुधार हेतु सिफारिश देने के लिए किया गया। इसके द्वारा नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था का अनुशंसा की गई।

❖ **दामोदरन समिति :** सेबी के पूर्व प्रमुख एम. दामोदरन की अध्यक्षता में वर्ष 2011 में गठित समिति द्वारा बैंकिंग सेवाओं में सुधार और उपभोक्ता हितैषी उपायों का बढ़ावा देने हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

- होम लोन अकाउंट समय पूर्व बंद कराने की स्थिति में दंडात्मक शुल्क बैंक द्वारा वसूल किया जाए।
- सावधि जमाओं पर स्वतः नवीनीकृत सुविधा नहीं होगी।
- बचत खातों में चैकबुक व एटीएम कार्ड जैसी सुविधाओं के लिये खाते में न्यूतनम बैंलेस संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- निःशुल्क कॉल सेंटर के माध्यम से सभी बैंकों के ग्राहकों की बैंकिंग संबंधित शिकायतों व अन्य सुनवाई की व्यवस्था हो।

❑ **उर्जित पटेल समिति :** मौद्रिक नीति ढाँचा को संशोधित और मजबूत करने की दृष्टि से उर्जित पटेल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन सितंबर, 2013 को किया गया था।

❖ **मुख्य सिफारिशें :**

- मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए आरबीआई द्वारा नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाया जाना चाहिये।
- मौद्रिक नीति संबंधित निर्णय मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिये जाये जिसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर हों।
- मौद्रिक नीति समिति ने 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 2 प्रतिशत (±2%) सहायता बैंड दो वर्षों की समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाए।
- सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के कम से कम 3% स्तर पर लाया जाना चाहिये जो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (संशोधन) नियमावली, 2013 से संगत हो।

- नकदी प्रबंधन बिल और बाजार स्थिरीकरण योजना को समाप्त कर देना चाहिये।
- नकदी प्रबंधन और सरकारी ऋण, सरकार के ऋण प्रबंधन कार्यालय को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।
- बैंक जमा राशियों के सभी नियत आय वाले वित्तीय उत्पादों को टीडीएस और कराधान के प्रयोजनों से समान समझा जाना चाहिये।
- सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाली वार्षिक आय के प्रबंधन हेतु खुले बाजार की क्रियाओं को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।

❑ **रघुराम राजन समिति :** सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन मई 2013 में किया गया। इस समिति की रिपोर्ट 26 सितम्बर, 2013 को सार्वजनिक की गई।

❖ **प्रमुख सिफारिशें :**

- इस समिति की रिपोर्ट में अतिरिक्त सहायता देने के लिये विशेष श्रेणी का दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त करने एवं तीन विभिन्न श्रेणियों में अल्प विकसित, कम विकसित एवं अपेक्षाकृत विकसित राज्यों को बाँटने की सिफारिश की गई।
- इस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य के विकास प्रदर्शन के आधार पर कुछ अतिरिक्त धन आवंटित करने का सुझाव दिया।
- वित्तीय समावेशन को 'कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों की जरूरत के लिये कम लागत पर और समय से पर्याप्त ऋण और वित्तीय सुविधाएँ सुनिश्चित करने की प्रक्रिया' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- समिति ने दो निधियाँ–वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि स्थापित करने की सिफारिश की है। इन दोनों निधियों को नाबार्ड द्वारा सृजित किया जाएगा।
- निश्चित अवधि में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन' प्रारम्भ करने की संस्तुति। भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इसके अंग के रूप में होंगे।
- वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह लक्ष्य होना चाहिये कि प्रतिवर्ष कम–से–कम 250 नए कृषक तथा गैर–कृषक परिवारों को शत–प्रतिशत बैंकिंग सुविधाओं से जोड़े।
- समिति ने नाबार्ड अधिनियम में परिवर्तन करने की अनुशंसा की है जिससे शहरी निर्धनों को भी सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके।

- **नचिकेत मोर समिति (2014)** : वित्तीय समावेशन से संबंधित सिफारिश देने हेतु वर्ष 2014 में इस समिति का गठन किया गया।

❖ प्रमुख सिफारिशें :

- प्रत्येक व्यस्क का एक बैंक खाता हो।
- देश में हर 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हो।
- प्राथमिकता क्षेत्र को मिलने वाला ऋण 40% से बढ़ाकर 50% करना चाहिए।
- अपना ग्राहक जानो (KYC-Know Your Customer) को लाने का सुझाव।
- अलग–अलग क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र) के लिए अलग–अलग बैंक हो।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियमन सुव्यवस्थित किया जाए।

- **पी.जे. नायक समिति** : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में बैंकों के बोर्ड के शासन की समीक्षा के लिए 2014 में एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ पीजे नायक की अध्यक्षता में गठित की गई है।

❖ प्रमुख सिफारिशें : बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम (1970), एसबीआई अधिनियम और एसबीआई सहायक अधिनियम को निरस्त करें, क्योंकि इस अधिनियम के लिए सरकार को बैंकों में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है। बैंक प्रबंधन में सुधार हेतु बैंक विलय का प्रस्ताव दिया गया। उपर्युक्त अधिनियमों को निरस्त करने के बाद सरकार को एक प्रमुख निवेश कंपनी के रूप में एक बैंक निवेश कंपनी (BIS) की स्थापना करनी चाहिए। जब तक BIS का गठन नहीं हो जाता तब तक BIS के कार्यों को करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरों नामक एक अस्थायी निकाय का गठन किया जाए।

- **दीपक मोहंती समिति** : आरबीआई द्वारा 2015 में गठित इस समिति द्वारा निम्न सिफारिशें दी गई ।

❖ प्रमुख सिफारिशें :

- आधार जैसे बायोमैट्रिक पहचान को प्रत्येक व्यक्तिगत खाते से जोड़ना।
- क्रेडिट सूचनाएं क्रेडिट सूचना ब्यूरों के साथ साझा की जानी चाहिए, ताकि क्रेडिट सिस्टम में स्थिरता लाई जा सके तथा एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न बैंकों से लिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण रहे।
- एमएसएमई उधारकर्त्ताओं के लिए विशिष्ट पहचान तंत्र लाया जाना चाहिए तथा ऐसी सूचना को क्रेडिट सूचना ब्यूरों के साथ साझा करना चाहिए।
- बैंकों को महिलाओं के लिए बैंक खाते खोलने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए तथा सरकार को लड़कियों के लिए एक जमा योजना पर विचार करना चाहिए।
- विभिन्न बैंकों व NBFCs के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार किया जाए।

- कृषि ब्याज छूट योजना को धीरे–धीरे समाप्त किया जाए तथा इस धन का उपयोग सार्वभौमिक फसल बीमा योजना में किया जाना चाहिए।
- कृषि के सभी खंडों के लिये औपचारिक ऋण आपूर्ति बढ़ाने के लिये भूमि अभिलेखों को डिजीटलीकरण।

❑ **जसबीर सिंह समिति (2015) :** 2015 में आरबीआई द्वारा भारत में बैंकों के लिए डिफरेंशियल प्रीमियम सिस्टम पर समिति द्वारा रिपोर्ट रखी गई।

❑ **रतन वाटल समिति :** देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पूर्व वित्त सचिव और प्रधान सलाहकार रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में अगस्त, 2016 को इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने दिसंबर, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

❖ **रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दू :**

- इस समिति ने एक स्वतंत्र तंत्र का सुझाव दिया जो समग्र केंद्रीय बैंकिंग ढाँचे के भीतर होना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान को सरल बनाने हेतु मोबाइल व आधार कार्ड का अधिक–से–अधिक उपयोग करने पर बल दिया।
- गैर – बैंकों के भीतर और बैंक – गैर – बैंकों के बीच अंतर प्रचलित भुगतान हेतु डिजिटल माध्यम को अपनाया जाना चाहिये।
- एक स्वतंत्र भुगतान नियम हो, जो केंद्रीय बैंक से अलग हो, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलें।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत विनिमय, भुगतान के पर्यवेक्षण और निपटान प्रणाली के बोर्ड को एक स्वतंत्र वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिये जिसे भुगतान बोर्ड कहा जाए।
- इस समिति ने भुगतान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया।
- प्रतिस्पर्द्धा, खुली पहुँच, उपभोक्ता संरक्षण, प्रणालीगत जोखिम एवं आँकड़े संरक्षण पर नियमों के लिये एक स्पष्ट दिशा–निर्देश देने की सिफारिश की।
- भुगतान स्वीकार करने वाली मशीनों पर शुल्क घटाने की सिफारिश की।

❑ **नंदन नीलकणि समिति :** जनवरी 2019 में RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने हेतु नीलकणि की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने कारोबारियों और ग्राहकों हेतु लागत घटाने एवं इसकी स्वीकार्यता से जुड़े बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने की सिफारिश की है ताकि देश के डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार किया जा सके।

❖ समिति की प्रमुख सिफारिशें :

- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये सरकार को किये जाने वाले किसी भी डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को हटा देना चाहिये।
- राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं और केंद्रीय विभागों को किये जाने वाले डिजिटल भुगतान के लिये उपभोक्ताओं पर कोई सुविधा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये।
- भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को मिलकर डिजिटल भुगतान व्यवस्था की निगरानी के लिये एक उचित व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये।
- समिति ने यह भी कहा है कि एक डिजिटल फाइनेंशियल इन्क्लूजन इंडेक्स (Digital Financial Inclusion Index) भी तैयार किया जाना चाहिए। जिससे सामान्य पैमाने के साथ–साथ किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकें और असंतुलन की स्थिति में सुधार के लिये उचित कदम उठाए जा सकें।
- समिति द्वारा पाइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणों से आयात शुल्क हटाने और तत्काल भुगतान सेवाओं पर GST में छूट की सिफारिश की गई। डिजिटल क्रेडिट और डिजिटल डेबिट के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिये। समिति ने रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) जैसी प्रणालियों में भी उचित सुधार लाने की सिफारिश की है। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु 'अपने ग्राहक को जानो' प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जाना चाहिए।

❑ **वीजी कन्नन समिति (2019) :** 2019 में आरबीआई द्वारा ATM प्रभारों और शुल्कों के संपूर्ण विस्तार की जाँच करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

❑ **सुनील मेहता समिति :** इस समिति का गठन जून 2018 में सुनील मेहता की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति के द्वारा बेड बैंक की व्यवहारिकता परखने एवं सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) की गठन के संबंध में सिफारिश देने का कार्य किया गया। इस समिति ने खराब ऋण समाधान हेतु पांच सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। पांच आयामी समाधान मार्ग में बैंक समाधान के लिए पांच विशेषताओं को रेखांकित किया गया–

1. एसएमई समाधान दृष्टिकोण
2 बैंक नेतृत्त्व समाधान दृष्टिकोण।
3. एएमसी के नेतृत्त्व में समाधान दृष्टिकोण।
4. आईबीसी दृष्टिकोण
5. परिसम्पत्ति व्यापार मंच

इसने बैंकों व संकटग्रस्त कम्पनियों को एनपीए की समस्या से निजात दिलाने हेतु प्रोजेक्ट सशक्त का प्रस्ताव रखा। सशक्त रिपोर्ट में 09 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया जिनका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन में बदलाव करना था। समिति ने बैंकों विदेशी निधियों और राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष जैसे–अवसंरचना कोषों से इक्विटी अंशदान के साथ एक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी की स्थापना का भी सुझाव दिया।

- **बैंकिंग लोकपाल योजना :** यह व्यवस्था 1 जनवरी, 2006 में आरबीआई द्वारा बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु कार्रवाई करती है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त व्यक्ति है जो इन शिकायतों का समाधान करता है। ये अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी है जिसे इस संबंध में दोनों पक्षों के बैंक व ग्राहक को बुलाने का अधिकार है। आरबीआई द्वारा सर्वप्रथम 14 जून, 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारम्भ की गई थी। बाद में 2002, 2006 को इस योजना में संशोधन करके इसके दायरे का विस्तार किया गया। रिजर्व बैंक द्वारा पूरे देश में 15 बैंकिंग ऑम्बुड्समैन (लोकपाल) स्थापित किए गए हैं। यदि किसी ग्राहक को बैंकिंग सेवा में त्रुटि मिले अथवा वायदे के अनुरूप सेवा प्राप्त न हो तो वह अपनी शिकायत के साथ बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल इन शिकायतों का निस्तारण 30 दिन के भीतर करेगा। बैंकिंग लोकपाल का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष।

- बैंकों में अतिरिक्त लोकपाल योजना 2018 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि बैंक आंतरिक लोकपाल का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष निश्चित करे जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल प्रत्येक 30 जून को अपनी रिपोर्ट आरबीआई गवर्नर को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

- आंतरिक लोकपाल को केवल रिजर्व बैंक की पूर्व सहमति के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है। आंतरिक लोकपाल को दिये जाने वाले पारिश्रमिक का निर्णय बोर्ड की ग्राहक उप–समिति द्वारा किया जाना चाहिये, न कि किसी भी व्यक्ति द्वारा।

- लोकपाल योजना 2018 को कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निरीक्षण के अलावा बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र द्वारा भी की जाएगी।

- **बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के अधीन आने वाली शिकायतें :** किसी बैंक द्वारा अपनाए गए उचित व्यवहार कोड का पालन न करने वाली शिकायतें। चेक, ड्राफ्ट, बिलों आदि का भुगतान न करना अथवा चेकों के भुगतान, कलेक्शन में अनुचित देरी होना। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा पे आर्डर जारी न करना।

- ग्राहक को बिना पूर्व सूचना दिए बैंक प्रभार लगाना व वसूलना। भारत में खाताधारी एनआरआई की विदेशों से हस्तांतरित धन, जमाओं तथा बैंकिंग से सम्बंधित अन्य शिकायतें। सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने से मना करना। पेंशन से सम्बन्धित शिकायतें। क्रेडिट कार्ड्स सम्बन्धित शिकायतें।

- बैंकों द्वारा रिकवरी एजेंट की नियुक्ति में मानक निर्देशों का पालन नहीं करना। अन्य सेवा शर्तें जिसमें बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन हुआ हो।

- **मिशन इंद्रधनुष :** भारत सरकार द्वारा अगस्त 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुर्नउद्धार के लिए इंद्रधनुष योजना की घोषणा की गई। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य व्यापक सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्जीवित और मजबूत बनाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन करना और निजी क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना और ऋण गुणवत्ता में सुधार करके आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है।

- **मिशन इंद्रधनुष के घटक :** मिशन इंद्रधनुष में बैंकिंग सुधारों पर पी.जे.नायक समिति द्वारा प्रस्तावित कई घटक शामिल है। इस मिशन के सात घटकों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (पीएसबी) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। इसमें शामिल है–

- **नियुक्ति (Appointment)** – अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को पृथक किया जाएगा तथा पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के तहत जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक गैर–कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

- **बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank board bureau)** – नियुक्ति बोर्ड का स्थान लेने वाले ब्यूरो में प्रतिष्ठित पेशेवर और अधिकारी शामिल है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर–कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ–साथ विकास रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

- **पूंजीकरण (Capitalization)** – बेसल–III मानदंडों के अतिरिक्त सुरक्षित बफर बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश, कर्ज से लदे बैंकों में 25,000 करोड़ रुपये की क्रमिक पूंजी निवेश का बनाये रखना।

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव कम करना (Di-stressing)** – रुकी हुई परियोजनाओं और बढ़े हुए एनपीए का समाधान करना, उन्हें नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम बनाना, मौजूदा ऋणों को पुनर्गठित करना, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना करना और परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना।

❖ अधिकारिता (Empowerment)– बैंकों को वाणिज्यिक हितों के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना तथा जनशक्ति नियुक्ति में लचीलापन प्रदान करना।

❖ जवाबदेही का ढांचा (Framework of accountability)– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) शुरू करना, धोखाधड़ी पर त्वरित कार्रवाई के लिए सतर्कता प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना आदि के माध्यम से जवाबदेही को सुनिश्चित करना।

❖ शासन सुधार (Governance)– पूंजी अनुकूलन, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना आदि घटकों का सामूहिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन, परिचालन दक्षता, पूंजीकरण और जवाबदेही को मजबूत करना है ताकि प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित हो सके और वे बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सकें।

❑ **मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 4 आर रणनीति (4R) :** मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक 4 आर दृष्टिककोण लागू किया है–

❖ मान्यता (Recognition) – बैंकों को अपनी परिसम्पत्तियों का सही मूल्याकंन करना आवश्यक है तथा उन्हें उनके वास्तविक मूल्य के अनुरूप करना चाहिए, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जोर दिया है।

❖ पुनर्पूंजीकरण (Re-capitalization) – बैंकों की पूंजी स्थिति की सुरक्षा के लिए, एक बार परिसम्पत्ति मूल्यों की पहचान हो जाने के बाद, बैंकों की मांगों को पूरा करने के लिए इक्विटी निवेश आवश्यक है।

❖ संकल्प (Resolution) – कॉर्पोरेट क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसम्पत्तियों को या तो बेच दिया जाना चाहिए या उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसी कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है।

❖ सुधार (Reform) – विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करते हुए ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट फर्मों के लिए भविष्य में प्रोत्साहनों में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।

यह 4R रणनीति एनपीए की स्पष्ट पहचान, पूंजी निवेश, तनावग्रस्त खातों के प्रभावी समाधान और बैंकिंग क्षेत्र और व्यापक राजकोषीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधारों को लागू करने पर केन्द्रित है।

- **उत्कर्ष –2022 :** केन्द्रीय बैंक के नियमन और पर्यवेक्षण में सुधार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तीन वर्षीय रूपरेखा तैयार की है। इस मध्यम अवधि की कार्य–नीतिगत रूपरेखा को उत्कर्ष–2022 नाम दिया गया है। यह मध्यम अवधि की रणनीति वैश्विक केन्द्रीय बैंकों के विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को सशक्त बनाने की योजना के अनुरूप होगी।

- **उद्गम योजना (Unclaimed Deposits Gateway to Access information-UDGAM)**–उद्गम का अर्थ आदावी जमा सूचना तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है, जो आरबीआई द्वारा विकसित एक ऑनलाईन पोर्टल है। यह पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं को केन्द्रिकृत तरीके से एक ही स्थान पर अनेक बैंकों में अदावी जमा/खातों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है। 04 मार्च, 2024 तक 30 बैंक उद्गम पोर्टल का हिस्सा है। इसके माध्यम से लावारिस जमा राशि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- **प्रोजेक्ट सशक्त** – सरकारी बैंकों के एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए एक समग्र नीति के रूप में सशक्त नामक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। यह समग्र नीति सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई। इसके अंतर्गत पांच सूत्रीय फॉर्मलें को लागू किया गया।

***

मौद्रिक नीति

⇒ मौद्रिक नीति समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वित्तीय संतुलन या मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात् अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह को विनियमित करने के लिये केन्द्रीय बैंक विभिन्न नीतिगत कदम उठाती है, इन्हीं नीतियों को समग्र रूप से 'मौद्रिक नीति' कहते हैं। यह तरलता समायोजन में सहायक होती है। मौद्रिक नीति किसी भी देश की आर्थिक नीति का वह घटक है, जिसके माध्यम से ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति एवं मुद्रास्फीति का नियंत्रण करते हुए आर्थिक संवृद्धि दर को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सरकार की राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बनाकर आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करती है।

❑ मौद्रिक नीति समिति :

- ❖ केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 2016 से मौद्रिक नीति संबंधित कार्य आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। इस समिति का गठन आरबीआई एक्ट, 1934 की संशोधित धारा 45z के तहत किया गया है। इस समिति में गवर्नर के अलावा 5 सदस्य होते है। कुल 6 सदस्यों में 3 सदस्य आरबीआई से एवं 3 सदस्य भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) से होते है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। आर्थिक निर्णय पर सहमति बहुमत के आधार पर होगी जिसमें गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार है।

❑ मौद्रिक नीति के लक्ष्य :

- ❖ मौद्रिक नीति की समीक्षा में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बढ़ाना।
- ❖ मुद्रास्फीति दर के निर्धारित लक्ष्य (4 प्रतिशत तक, जिसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निचली सीमा 2 प्रतिशत) के अंतर्गत बनाए रखना।
- ❖ मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।
- ❖ मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करना।
- ❖ नीतिगत ब्याजदरों का निर्धारण करना।

❑ मौद्रिक नीति के उद्देश्य :

- ❖ अर्थव्यवस्था में साख संतुलन बनाये रखना।
- ❖ मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना।
- ❖ निवेश को बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना।
- ❖ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना।

❑ मौद्रिक नीति के प्रकार :

- ❖ **उदासीन मौद्रिक नीति** – इससे तात्पर्य है कि ब्याज दरें ऊपर अथवा नीचे दोनों हो सकती है अर्थात् नीतिगत ब्याजदरों में उतार–चढ़ाव सम्भव है। यह ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के प्रति उदासीन होती है।

- ❖ **संकुचनशील मौद्रिक नीति** – इसके अन्तर्गत आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति दर को नियंत्रण में लाना होता है। यह महँगी मौद्रिक नीति कहलाती है। महँगी मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर इत्यादि।

- ❖ **विस्तारवादी मौद्रिक नीति** – जब आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कमी द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसे सस्ती मौद्रिक नीति भी कहते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति के तहत तरलता में वृद्धि करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य ये ब्याज दरों में कमी की जाती है। कभी–कभी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए भी तरलता में वृद्धि की जाती है।

- ❖ **कठोर मौद्रिक नीति** – इस प्रकार की मौद्रिक नीति के तहत तरलता को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर में वृद्धि की जाती है। इससे आर्थिक संवृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।

- ❖ **लचीली मौद्रिक नीति** – विस्तारित और सस्ती मौद्रिक नीति को संयुक्त रूप से लचीली मौद्रिक नीति की संज्ञा दी जाती है।

❑ मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन/उपकरण :

मौद्रिक नीति के उपकरण

मात्रात्मक
- बेस रेट
- बैंक रेट
- रेपो रेट
- रिवर्स रेपा रेट
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
- सांविधिक तरलता अनुपात
- नकद आरक्षित अनुपात
- तरलता समायोजन सुविधा

गुणात्मक
- साख कोटा निर्धारण
- सीमांत आवश्यकता का निर्धारण
- चयनात्मक ऋण नियंत्रण
- नैतिक दबाव
- प्रत्यक्ष कार्यवाही

❑ मात्रात्मक उपकरण :

- **बेस रेट** – बेस रेट वह ब्याज दर है जिसके नीचे व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते है। बेस रेट सिस्टम का उद्देश्य बैंको की उधार देने की दरों में पारदर्शिता, मौद्रिक नीति के संप्रेषण अनुमान लगाना तथा उसे बेहतर बनाना था। 2010 में आरबीआई द्वारा इसके विनियमन के बाद बैंक अपना बेस रेट खुद तय करते हैं। बैंको को किसी भी ऋण का आवंटन बेस रेट के नीचे की ब्याज दर पर करने की अनुमति नही है। यह परिवर्तनशील है।

- **बैंक दर** – जिस दर पर आरबीआई अपने ग्राहकों (सरकार, सरकारी कंपनियो, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, इत्यादि) को दीर्घकालीन ऋण देती है, बैंक दर कहलाती है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में सक्रिय संबंधित ऋणदाता संस्थाओ के लम्बी अवधि के ऋणों पर सीधा असर पड़ता है। फरवरी 2021 में इस दर को मार्जिनल स्टैंडिग फैसिलिटि (के अनुरूप किया गया था।

❖ बैंक दर में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव

बैंक दर	तरलता	बैंक ब्याज दर	उपभोग व्यय व निवेश	वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य
कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	वृद्धि
वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	कमी

- **रेपो दर** – वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहको को लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाता है उसे रेपो दर कहते है। भारत का कॉल मनी मार्केट या मांग मुद्रा बाजार (अंतर बैंक बाजार) इसी दर पर काम करता है। इस दर का सीधा संबंध उस दर से है जिस पर बैंक ग्राहको को लोन देते है। आरबीआई द्वारा बैंकों को यह उधार प्रतिभूति के बदले दिया जाता है।

❖ रेपो दर में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव :

रेपो दर	तरलता	बैंक ब्याज दर	संवृद्धि दर	उपभोग व्यय व निवेश	वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य
कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	कमी	कमी

- दीर्घ अवधि रेपो दर – फरवरी 2020 में आरबीआई द्वारा बैंको को तीन वर्ष की अवधि तक के लिए दीर्घावधि रेपो दर की घोषणा की गयी। दीर्घावधिक रेपो का मूल उद्देश्य ऋणों को सस्ता करना है जिसके लिए बैंको की कार्यकारी पूँजी पर होने वाले व्यय को RBI द्वारा कम करने की कोशिश की गयी।

- प्रतिवर्ती रेपो दर (रिवर्स रेपो दर) – RBI द्वारा बैंको से लिए गये लघु अवधि ऋणों पर जो ब्याज आरबीआई बैंको को देती है उसे प्रतिवर्ती/रिवर्स रेपो रेट कहते है। भारत वित्तीय संस्थान अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास कम अवधि के लिये जमाकर उससे ब्याज प्राप्त करते है। इसका सीधा प्रभाव बैंको और वित्तीय संस्थानो द्वारा विभिन्न तरह के ऋणों की ब्याज दरों पर पड़ता है। यह बैंको के घाटे और प्रचलित ब्याज दर को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट से कम होती है। इसमें कमी से बैंकों को कम ब्याज मिलता है।

❖ रिवर्स रेपो दर में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव :

रिवर्स रेपो दर	तरलता	बैंक ब्याज दर	संवृद्धि दर	उपभोग व्यय व निवेश	वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य
कमी	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	कमी	कमी

- मार्जिनल स्टैंडिग सुविधा (सीमांत स्थाई सुविधा) (MSF) – यह सुविधा आरबीआई ने 2011–12 की मौद्रिक नीति के तहत शुरू की जिसमें बैंक रातों–रात अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक प्रतिशत आरबीआई से उधार ले सकते है। आरबीआई द्वारा बैंकों को अति अल्पकाल हेतु दी जाने वाली ऋण एम॰एस॰एफ॰ रेट को दण्डात्मक दर अर्थात् पीनल रेट के रूप में प्रारम्भ किया गया था और 2015 से RBI इसे वर्तमान रेपो रेट से 1 प्रतिशत से अधिक रखा है

❖ सीमांत स्थाई सुविधा दर में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव :

सीमांत स्थाई सुविधा दर	तरलता	बैंक ब्याज दर	उपभोग व्यय व निवेश	वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य
कमी	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	कमी

- सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) – देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको को अपनी सकल जमाओं (NDTL) का एक हिस्सा आरबीआई के पास 'गैर नकद' रूप में रखना अनिवार्य है जो आरबीआई 25% से 40% तक निर्धारित कर सकती है। इस गैर नकद का स्वरूप तरल परिसंपत्तियों में होना तय है जिसका चयन बैंक स्वयं कर सकते है लेकिन व्यवहार में बैंको द्वारा इस धन को सरकारी प्रतिभूतियो

में निवेशित करना अनिवार्य है जिन पर बैंको को ब्याज के माध्यम से आय प्राप्त होती है। निवेश बढ़ाने हेतु सांविधिक तरलता अनुपात में कमी एवं मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने हेतु सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि की जाती है व्यापारिक बैंकों की कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जिसे स्वयं के पास रखना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, सांविधिक तरलता अनुपात कहलाता है। यह नकद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। इसका निर्धारण भी आरबाआई द्वारा किया जाता है। CRR व SLR नीतिगत अनुपात कहलाते हैं।

❖ **सांविधिक तरलता अनुपात में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव :**

सांविधिक तरलता अनुपात	तरलता	बैंक ब्याज दर	वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता	उपभोग व्यय व निवेश	वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य
कमी	वृद्धि	कमी	कमी	वृद्धि	वृद्धि
वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	कमी	कमी

◆ **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) –** इसके अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित बैंको को अपनी कुल जमाओ का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नकद स्वरूप में रखना अनिवार्य होता है जिसे नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कहते है। आरबीआई द्वारा इस अनुपात को बैंको की कुल माँग और सावधि जमाओ के 3% से 15% तक रखा जाता है। बैंक जमा का वह हिस्सा जिसे बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा करना होता है। सीआरआर ज्यादा होने पर बैंकों के पास साख सृजन अधिक होगा।

❖ **नकद आरक्षित अनुपात में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव :**

नकद आरक्षित अनुपात	तरलता	बैंक ब्याज दर	वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता	उपभोग व्यय व निवेश	वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य
कमी	वृद्धि	कमी	कमी	वृद्धि	वृद्धि
वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	कमी	कमी

◆ **एम.सी.एल.आर (MCLR - Marginal cost of funds Based Lending Rate)** : धन की सीमांत लागत के आधार पर ऋण दर को भारतीय रिजर्व बैंक दिसम्बर 2015 में जारी किया था।

इसके अंतर्गत बैंक अपने बेस रेट निर्धारित करते समय निम्नलिखित तीन विधियों का प्रयोग करेंगे :– a – फंड का औसत मूल्य b – फंड का सीमांत मूल्य c – फंड का मिश्रित मूल्य

- **लिक्विडिटी एडजेस्टमेंट फैसिलिटी (तरलता समायोजन सुविधा) (LAF) –** आरबीआई की मौद्रिक नीति संरचना परिचालन में काफी अहम है। हर दिन आरबीआई तय ब्याज दर (रेपो और रिवर्स रिपो रेट) पर जरूरत के हिसाब से बैंकों से पैसे उधार लेने या देने के लिए तैयार रहता है। बैंकों के फंड में असंतुलन पर नियंत्रण के साथ तरलता समायोजन सुविधा ऑपरेशन आरबीआई को प्रभावी तरीके से ब्याज दर के संकेत बाजार को भेजने में मदद करता है।

- **खुले बाजार की क्रियाएँ –** इनके तहत आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय किया जाता है। यदि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो बाजार में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है और यदि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है तो मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है। खुले बाजार की क्रियाएँ रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंकों द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों के अनुपात को परिवर्तित कर देती हैं। इन्हें 'खुला बाजार प्रचान' भी कहते हैं। इसका उद्देश्य बाजार में नकदी की तरलता को बनाये रखना है।

अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति से निपटने के लिये रिजर्व बैंक ने 'ऑपरेशन ट्विस्ट' शुरू किया है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ब्याज दरों में कमी लाना तथा निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरबीआई अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर आय प्राप्त करता है तथा इसका निवेश दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को खरीदने में करता है। कुल मिलाकर, अल्पकालिक प्रतिभूतियों का निवेश दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित हो जाता है।

आरबीआई द्वारा	तरलता	साख सृजन क्षमता	बैंक ब्याज दर	उपभोग व्यय व निवेश	वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद	वृद्धि	कमी	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री	कमी	कमी	वृद्धि	कमी	कमी

Note : वे सभी दस्तावेज जिनके द्वारा बाजार से पूंजी एकत्र की जाती है, प्रतिभूति कहलाते हैं। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूति की संज्ञा दी जाती है।

❑ गुणात्मक उपकरण :

❖ **साख कोटा निर्धारण** – आरबीआई द्वारा बैंकों को अपनी उधार का 40% प्राथमिकता क्षेत्र उधार के रूप में देना होता है।

❖ **सीमांत आवश्यकता का निर्धारण** – बैंकों द्वारा गिरवी रखी हुई वस्तओं पर कराए जाने वाले ऋणों की सीमा का निर्धारण किया जाता है।

❖ **चयनात्मक ऋण नियंत्रण** – इसमें आरबीआई कुछ विशेष क्षेत्रों को ऋण न देने का निर्देश देती है, जिसे काला बाजारी व मनी लॉण्ड्रिग आदि का नियंत्रित किया जा सकें।

❖ **नैतिक दबाव** – आरबीआई द्वारा बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे आरबीआई के नियमों के अनुसार ही रेपो रेट को घटायें। साथ ही बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में ज्यादा निवेश न करके ज्यादा ऋण उपलब्ध करवाने पर ध्यान देना चाहिए।

❖ **प्रत्यक्ष कार्यवाही** – यदि बैंक आरबीआई के अनुसार CRR व SLR नहीं रखते हैं तो आरबीआई पैनल्टी व सजा का प्रावधान कर सकती है।

❑ मौद्रिक नीति के अन्य विकल्प :

❖ **कॉलमनी मार्केट** – मुद्रा बाजार का वह भाग जहाँ वित्त उधार लेने और देने का काम रातों–रात होता है तथा जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कॉ–आपरेटिव बैंक (भूमि विकास बैंक को छोड़कर) बीमा कंपनियां आदि भाग लेती है, कॉलमनी मार्केट कहलाता है। अप्रैल, 2016 तक रेपो रेट पर ओवरनाइट फैसिलिटी के तहत बैंक अपने एनडीटीएल का सिर्फ 1% ही उधार दे सकते है।

♦ **लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर (LIBOR-London Inter Bank Offered Rate) :** दुनिया में कॉल मनी बाजार का सबसे बड़ा केन्द्र लंदन है। लिबोर वह अनुमानित औसत ब्याज दर है जिस पर लंदन शहर के अग्रणी बैंकों को अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त होता है। जिस ब्याज दर पर लंदन के मुख्य बैंकों में कॉल मनी का लेन–देन करते हैं, LIBOR कहलाती है। यह आमतौर पर ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट का संक्षित नाम है। वस्तुतः लिबोर प्राथमिक बेंचमार्क है तथा इसके साथ ही, EURIBOR का भी उपयोग किया जाता है जो दुनिया भर में अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए

जिम्मेदार है। अधिकांश वित्तीय संस्थान, बंधक ऋणदाता तथा क्रेडिट कार्ड एजेंसियां इनके आधार पर ही अपनी दरें निर्धारित करते हैं।

- **मुंबई इंटरबैंक प्रस्ताव दर (Mumbai Interbank Offered Rate : MIBOR)** भारतीय बैंकों द्वारा कॉल मनी का लेन–देन जिस ब्याज पर दर पर किया जाता है, मुम्बई अंतर बैंक प्रस्ताव दर कहलाती है। क्योंकि भारत के प्रमुख बैंकों का मुख्यालय मुम्बई में स्थित है। MIBOR का गणना दैनिक आधार पर NSE द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1998 में मुंबई इंटरबैंक बिड रेट (MIBID) तथा एनएसई मुंबई इंटरबैंक प्रस्ताव दर (मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट–एमआईबीओआर) को ओवरनाइट (24 घंटे) मुद्रा बाजार हेतु विकसित तथा लॉन्च किया गया।

- **मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम –** इसे 2004 में शुरू किया गया। बड़ी मात्रा में अतिरिक्त नकदी को अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति और राजकोष बिल के जरिये कम किया जाता है। इसको रिजर्व बैंक के अलग खाते में रखा जाता है। इसमें SLR और CRR दोनों की विशेषताएं होती है।

- **स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी स्कीम –** 2018–19 के बजट में इस नयी योजना की घोषणा की गयी। इस योजना का उद्देश्य आरबीआई के हाथों में एक ऐसा साधन प्रदान करना है जिससे अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रा फंड का बेहतर प्रबंधन हो सकें।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में मौद्रिक नीति प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्य किये गये :

- प्रत्येक दो माह में मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी।
- भारत सरकार और RBI के बीच 2015 के समझौते के अनुसार महंगाई की दर 2 से 6 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए।
- वर्तमान रेपो रेट के अलावा 7, 14 और 28 दिन का टर्म रेपो शुरू किया गया।
- वर्ष 2016–17 से RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार में व्यक्तिगत तौर पर भी हिस्सा लेने की अनुमति दी गयी।

***